

1932
23
9777
3/10

NR. 804

द्वारा भिन्न/फैक्स।

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

उत्तर

प्रदेश।

टावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शाहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या: पॉच-470(वरि0 पदो0)2023

दिनांक: 28/10/2023

आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित में किये गये प्रावधानों के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये सफलता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने वाले पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को उनके वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जो दिनांक 01-10-2023 से प्रभावी होगा:-

क्र० सं०	पीएनओ सं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति जनपद/इकाई	उपयुक्त का चयन वर्ष
1	980491788	अनिल कुमार यादव	श्री डाक्टर यादव	05.07.1979	ददरिया	उपयुक्त-2023
2	980550188	रामदेवर यादव	श्री बुद्धिराम यादव	15.06.78	जीआरपी अनुभाग प्रयाग राज	उपयुक्त-2023
3	940580222	लल्लन यादव	गुखलाल यादव	07.04.1974	अयोध्या	उपयुक्त-2023
4	982250527	सरिता त्रिपाठी	श्री दिवाकर मिश्रा	01.06.1979	कमिश्नरेट कानपुर	उपयुक्त-2023
5	980730267	मनोज कुमार	भूसा राम	01-05-1978	भदोही	उपयुक्त-2023
6	972060369	चन्द्रप्रकाश	श्री विक्रम सिंह	15.02.1977	मैनपुरी	उपयुक्त-2023
7	970480143	विवेक कुमार	श्री जगदम्मा प्रसाद	10.08.1976	कमिश्नरेट लखनऊ	उपयुक्त-2023
8	963030029	कृष्ण कुमार	सूरज सिंह यादव	15-11-1977	कौशांबी	उपयुक्त-2023

1/c Website

3- पदोन्नति प्राप्त उपनिरीक्षक अपने नियुक्ति स्थान जनपद पर कार्यभार सभ्यता से तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिन सेवानियमावली के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मियों की वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मियों नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये कर्मिक की नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक 14 अलग प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

SP/AD
03/10/23

(ग) यदि आपराधिक आक्रम के आधार पर कार्रवाई के विरुद्ध आवेदन कार्यवाही सम्बन्धित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन प्रारम्भ प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं आती हैं तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराकर सम्पूर्ण तथ्यों सहित आवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निष्पत्ति-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित तथ्यों अथवा असत्य अथवा झूठा बताया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक को विरुद्ध अविश्वसनीयता प्रमाणित कराये जाने की कार्यवाही उस अपराध/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस अपराध/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्यों/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आदेश की प्रति डीप्रो पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक- प्रारूप (क)

29/9
(एल0 आर0 कुमार)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, राय बहा
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त पदार्थ में कृपया सादर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, डीप्रो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
 - 2- पुलिस आयुक्त, कानपुर एवं लखनऊ।
 - 3- जॉन्ल अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा एवं प्रयागराज।
 - 4- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर, आराध्या, वाराणसी, आगरा एवं प्रयागराज।
 - 5- सहायक चरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, देवरिया, आराध्या, गोरखपुर, गीतपुरी एवं कौशांबी।
 - 6- पुलिस अधीक्षक, रेलवे प्रयागराज।
- ✓ पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, डीप्रो पुलिस कम्प्यूटर सेन्टर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया प्रशस्त आदेश को डीप्रो पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही।

मूल पर नहीं।

प्रतिलिपि:- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-4 स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

